| हुक्म | |
|---|---|
| 9/12/19 | पत्रावली अन्तर्गत माननीय राजस्व मण्डल से लौटकर पेश हुई। माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 6/9/17 को अपास्त कर प्रार्थी बालूराम, मोते, बन्नाराम को पक्षकार बनाये जाने के निर्देश फरमाये हैं। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने संशोधित दाखिल दिनांक 17/12/19 को पेश हो। |
| 17/12/19 | अ०प० वादी उपस्थित। अभि० प्रतिवादी उप० व उसके अभि० को बार-2 आवाजें लगाने पर भी उप० नहीं हो। वाद वादी अकस हाजरी अग्रिम पेशी में खारिज किया जाकर पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो। जाब्ता पुनर्गठन। उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह (टोंक) |